

निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(RAS) देवगढ़  
केम्प मंदारिया

क्र.सं 2/2018 प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक 04.05.2018

अनवान

1. श्री रामा पिता हजारी गुर्जर नि. वेणाखेडा (देवगढ़)

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री नेना पिता गोकल गुर्जर नि. वेणाखेडा (देवगढ़)

2. श्री भेरा पिता हजारी गुर्जर नि. वेणाखेडा (देवगढ़)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज. ले. रे. एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ की ग्राम वेणाखेडा पटवार हल्का मंदारिया तहसील देवगढ़ में प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य व खातेदारी कबजे की भूमि स्थित हैं जिसके आराजी नम्बर 314 रकबा 2.19, आराजी नम्बर 315 रकबा 0.10, आराजी नम्बर 316 रकबा 0.09, आराजी नम्बर 317 रकबा 0.19, आराजी नम्बर 318 रकबा 0.16, कुल किता 5 रकबा 5.13 (बीघा 5 बिस्वा 13) भूमि हैं। उक्त वर्णित उलिया आराजीयात पर प्रार्थी का निर्बाध रूप से काश्त करते आ रहे हैं किन्तु प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के चारों तरफ पत्थर की पक्की बाउण्डी अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षी जो प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुए पड़ोसी हैं, हर समय फसल बवाई तथा कटाई के सीमा सम्बन्धित विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमें बाजी के लिये विवश होना

पडता है। मौके पर अशांति कायाम रहती है। जिससे प्रार्थी उसकी भूमिका शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग काश्त वगैरह नहीं कर पा रहे हैं यदि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा तथा प्रार्थी उक्त भूमिका का शान्तिपूर्वक काश्त उपयोग उपभोग वगैरह कर सकेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर विपक्षी गण ने कोई जवाब पेश नहीं किया बल्कि विपक्षी को सम्मन जारी हो जाने पर विपक्षी सं 1 अनुपस्थित रहा वकील प्रार्थी ने विपक्षी के विरुद्ध को कारवाई नहीं करने बाबत निवेदन किया जिसपर विपक्षीगण के विरुद्ध कारवाई डोप की गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया की प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि के चारों तरफ पत्थर की बाउण्डी अथवा स्थाई सीमा चिन्ह नहीं हैं जिससे विपक्षी जो प्रार्थी की भूमि से मिलते हुए पड़ोसी है हर समय फसल बुवाई व कटाई के प्रार्थीगण की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। कभी प्रार्थीगण की भूमि को हांक लेते है कभी घास फसल काट लेते हैं यदि प्रार्थी की उक्त वर्णित भूमि की बादनपती पत्थरगढी हो जाती है तो इस समस्या का स्थाई समाधान हो जायेगा।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर ममन किया। ग्राम वेणाखेडा पटवार हल्का मंदारिया तहसील देवगढ की नकल जमाबन्दी सं 0 2069 से 2072 में प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार हैं। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम वेणाखेडा पटवार हल्का मंदारिया तहसील देवगढ में स्थित प्रार्थी की आराजी नम्बर 314 रकबा 2.19, आराजी नम्बर 315 रकबा 0.10, आराजी नम्बर 316 रकबा 0.09, आराजी नम्बर 317 रकबा 0.19, आराजी

नम्बर 318 रकबा 0.16, कुल किता 5 रकबा 5.13 (बीघा 5 बिस्वा 13)  
भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु  
तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे की प्रार्थीगण से नियमानुसार  
पत्थरगढ़ी शुल्क जमा करा पक्षकारान को सूचित करा मौके पर  
पत्थरगढ़ी की जाकर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 04.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय  
आपके द्वार कैम्प मियाला में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो  
नम्बर से कम की जावें।

  
सहायक कलेक्टर  
देवगढ़, जिला-राजसमंद